# कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

## प्रेस नोट

**दिनांक-30.09.2024**

**विषयः- थाना सारनाथ क्षेत्रान्तर्गत हुई चोरी की घटनाओं से संबंधित शातिर चोर आशीष कुमार उर्फ कंचन राम थाना सारनाथ पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के आभूषण व चोरी के शेष बचे कुल 21200/- रु0 नगद बरामद।**

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराधों की रोकथाम, चोरी/लूट/हत्या की घटनाओ के सफल अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण मे एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के नेतृत्व में थाना सारनाथ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर 1-मु0अ0सं0 216/24 धारा 380 भा0द0वि0, 2-मु0अ0सं0 113/24 धारा 457,380 भा0द0वि0, 3-मु0अ0सं0 259/24 धारा 457,380 भा0द0वि0, 4-मु0अ0सं0 272/24 धारा 457,380 भा0द0वि0 व 5-मु0अ0सं0 293/24 धारा 427,457,380,511 भा0द0वि0 व बढ़ोत्तरी धारा 411 भा0द0वि0 थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी से संबंधित वांछित अभियुक्त आशीष कुमार उर्फ कंचन राम पुत्र निढ्ढू उर्फ करिया निवासी खालिसपुर हरिजन बस्ती थाना सारनाथ वाराणसी को हीरामनपुर क्रासिंग थाना सारनाथ कमि0 वाराणसी से आज दिनांक-30.09.2024 को समय करीब 09.35 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी के आभूषण व चोरी के शेष बचे कुल 21200/- रु0 नगद बरामद हुए। उक्त गिरफ़्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सारनाथ पुलिस द्वारा अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि थाना सारनाथ मे पंजीकृत चोरी के उपरोक्त मुकदमों से संबंधित अभियुक्त शुभम सिंह पुत्र अजीत सिंह निवासी बासूचक थाना रामपुर मांझा जनपद गाजीपुर को दिनांक-28.06.2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

**पूछताछ का विवरण-**पूछताछ करने पर अभियुक्त आशीष कुमार उर्फ कंचन राम ने बताया कि मैं और मेरे साथी शुभम सिंह पुत्र अजीत सिंह निवासी वाशुचक थाना रामपुर मांझा जनपद गाजीपुर ने मिलकर के दिनांक-18.05.24 की रात्रि में तिलमापुर में एक घर के कमरे का ताला तोड़कर 60000/- रुपये नगद व सोने की 01 चेन, सोने की 02 अंगूठी, सोने का 01 जोड़ी कान का झाला, सोने की 01 जोड़ी बाली, 02 जोड़ी पायल, करधनी व 04 जोड़ी बिछुआ चोरी किये थे, दिनांक-25/03/2024 को तिलमापुर वैष्णो देवी मंदिर की दान पेटी से 46000/-रुपये चोरी किए थे, दिनांक-14/06/2024 को बरईपुर शक्तिपीठ कालोनी के एक घर से 01 अंगूठी सोने की व 01 चांदी की और एक पायल चोरी किये थे एवं दिनांक-16/06/2024 को लेढ़ुपुर सारनाथ मे एक घर से हमने 25000/- रुपये, 01 चेन व 01 हार चोरी किये थे तथा दिनांक-25/06/2024 को न्यू कालोनी हीरामनपुर में घर का दरवाजा व सी0सी0टी0वी0 कैमरा तोड़ कर हम चोरी की नीयत से घर में घुसे थे किंतु घर वालों के जग जाने के कारण हम लोग चोरी नहीं कर पाये थे। चोरी किए हुए गहनों व रुपयों को हम लोगों ने आपस में बांट लिया था, जिसमें से मुझे मेरे हिस्से का 55000/-रु0 प्राप्त हुआ था और प्राप्त रुपयों में से कुछ रुपये खाने-पीने में खर्च हो गये और जो शेष रुपये बचे थे वो आप लोगों ने बरामद कर लिया है। इन 21200/-

रुपये में से 18000/-रुपये व गहनों में से सोने का 01 जोड़ी कान का झाला, सोने की 01 रिंग, चांदी की करधनी व 02 जोड़ी बिछुआ दिनांक-18.05.24 की रात्रि में तिलमापुर में एक घर में कमरे का ताला तोड़कर हम लोगों ने चोरी किया था ये उसी चोरी के पैसे व गहने हैं और 1700/-रुपये दिनांक-25/03/2024 को जो तिलमापुर वैष्णो मंदिर की दान पेटी से चोरी किये थे ये उसमें के बचे पैसे हैं व 1500/- रुपये दिनांक-16/06/2024 को लेढ़ुपुर सारनाथ में चोरी किये गए पैसों में से बचे पैसे हैं तथा दिनांक-14/06/2024 को बरईपुर शक्तिपीठ कालोनी के घर में जो हमने गहने चोरी किये थे उसी में का ये चांदी का पायल है,मेरे पास जो कुछ भी था उसे आप लोगों ने बरामद कर लिया है। चोरी के शेष रुपये व गहने मेरे साथी शुभम सिंह के पास थे जो दो-ढाई महीने पहले जेल जा चुका है। आज मैं इन गहनों को बेचने के लिए जा रहा था और गहने बेचकर रुपये लेकर दिल्ली जाने की तैयारी में था कि आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

आशीष कुमार उर्फ कंचन राम पुत्र निद्धू उर्फ करिया नि0 खालिसपुर हरिजन बस्ती थाना सारनाथ वाराणसी, उम्र करीब 22 वर्ष।

**गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान-** हीरामनपुर क्रासिंग थाना सारनाथ कमि0 वाराणसी से, दिनांक-30.09.2024 को समय करीब 09.35 बजे।

**बरामदगी विवरण-**

1-सफेद व पीली धातु के आभूषण (01 जोड़ी कान का झाला पीली धातु, 01 अदद रिंग पीली धातु, 01 जोड़ी पायल सफेद धातु, 01 अदद करधनी सफेद धातु, 02 जोड़ी बिछुआ सफेद धातु)

2-चोरी के शेष बचे कुल 21200/- रु0 नगद।

**आपराधिक इतिहास-**

1-मु0अ0सं0 216/24 धारा 380 भा0द0वि0 थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।

2-मु0अ0सं0 113/24 धारा 457,380 भा0द0वि0 थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।

3-मु0अ0सं0 259/24 धारा 457,380 भा0द0वि0 थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।

4-मु0अ0सं0 272/24 धारा 457,380 भा0द0वि0 थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।

5-मु0अ0सं0 293/24 धारा 427,457,380,511 भा0द0वि0 थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-**

1-उ0नि0 अरविंद कुमार यादव थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।

2-उ0नि0 भरत कुमार चौधरी थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।

3-उ0नि0प्र0 संदीप कुमार शर्मा थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।

4-हे0का0 विनोद कुमार थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।

**सोशल मीडिया सेल**
**पुलिस उपायुक्त**
**वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी**